देवनागरी महाविद्यालय
मेरठ

Prospectus
2023-24
विवरणिका

Deva Nagri College, Meerut

(NAAC ACCREDITED)

UGC Awarded : College with potential for Excellence (CPE)

(Affilliated to C.C.S. University, Meerut.)

NCC OFFICE

संदेश

शिक्षायाम् आदिम् वर्ण्यन्ते गुणाः पुरुषस्य च।
सुखं दुःखं च सम्यक्त्वात् विद्या ददाति विमुक्तये।।

शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के गुणों की प्रशंसा की जाती है। सही और गलत को समझने के कारण शिक्षा मनुष्य को सुख और दुःख की समझ प्रदान करती है और उसे उद्धार की ओर ले जाती है।

देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों और अनुशासन के कारण उत्तर प्रदेश की प्रमुख संस्थाओं में विशिष्ट स्थान रखता है। हमारे विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण के स्तम्भ हैं। उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्ममंथन, राष्ट्रीयता और धर्म निरपेक्षता की भावना का प्रसार करना हमारा परम ध्येय है।

महाविद्यालय में शिक्षण के साथ–साथ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक गतिविधियाँ वर्ष पर्यन्त आयोजित की जाती हैं। स्काउट–गाइड, एन.सी.सी., एन.एस.एस., खेलकूद, सांस्कृतिक समारोह एवं अन्य पाठ्य सहभागी क्रियायें विद्यार्थियों के विभिन्न कौशल विकास के लिए निर्बाध रूप से संचालित की जाती है। इनमें भाग लेकर विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक सत्र में उत्कृष्ट परिणाम के साथ हमारे विद्यार्थियों ने चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की विभिन्न विषयों की वरीयता सूची में उच्च स्थान एवं पदक प्राप्त करके महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है।

वनस्पति विज्ञान विभाग में स्थापित मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला और रसायन शास्त्र विभाग में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के फलस्वरूप समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुँचा रहा है। वर्तमान समय में देवनागरी महाविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षण कार्य और अनुसंधान के साथ प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

हमें विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी परिश्रम से प्रबुद्ध देशभक्त एवं विविध कौशलों से परिपूर्ण सभ्य नागरिक बनेंगे एवं समाज और देश के विकास में अपना यथासंभव सक्रिय योगदान देकर अपने जीवन को सफल बनायेंगे।

सार्थक एवं मंगलमय भविष्य की कामना के साथ...

प्रोफेसर (डॉ०) अजय कुमार
प्राचार्य

अजय अग्रवाल
अवैतनिक मंत्री

देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ

संक्षिप्त इतिहास

देवनागरी शिक्षण संस्था की स्थापना स्वर्गीय पं० गौरी दत्त जी के द्वारा सन् 1882 ई० में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार हेतु एक लघु पाठशाला के रूप में की गयी थी। कालान्तर में यह पाठशाला अपनी विभिन्न विशेषताओं एवं उपलब्धियों के कारण सन 1921 में हाईस्कूल तथा सन 1939 में इण्टरमीडिएट कॉलिज के रूप में विकसित हुई।

महाविद्यालय के रूप में सन् 1958 में बी०एस–सी० की कक्षाओं का शुभारम्भ हुआ। तत्पश्चात् सन् 1964 से एम०एस-सी० (रसायन विज्ञान) , सन् 1965 से एम०एस.-सी० (गणित) एवं बी०एस-सी० (जीव विज्ञान) , सन् 1966 से एम०ए० (अर्थशास्त्र) , सन् 1973 से बी०कॉम० , सन् 1979 से एम०कॉम० , सन् 1982 से एम०एस-सी० (वनस्पति विज्ञान तथा जन्तु विज्ञान), सन् 2000 से एम०एस–सी० (भौतिक विज्ञान), सन् 2001 से एम०ए० (अंग्रेजी) तथा सन् 2005 से बी०एड० की कक्षायें प्रारम्भ हुईं। सन् 2011, से बी० एस–सी० (कम्प्यूटर सांइस) की कक्षायें भी प्रारम्भ कर दी गई हैं। सत्र 2021–22 से स्नातक स्तर पर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरुप शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग में अत्याधुनिक प्रयोगशालायें तथा शोध की सुविधायें उपलब्ध हैं। प्रत्येक विभाग में विभागीय पुस्तकालयों में उच्च कोटि की नवीनतम पुस्तक एवं शोध पत्रिकायें उपलब्ध है। पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर लगभग 8000 वर्ग फिट का भवन छात्र/छात्राओ के लिए तैयार हो चुका है जिसमें रोटरी क्लब साकेत द्वारा विभिन्न विषयों की लगभग 60000 मानक पुस्तक भेंट स्वरुप दी गई। महाविद्यालय का पुस्तकालय एवं प्रत्येक विभाग इन्टरनेट (wifi) से जुड़ा हुआ है जिसकी सुविधा छात्र/छात्राओं के लिये नि :शुल्क उपलब्ध हैं।

प्रारम्भ से ही,चरित्रवान एवं देशभक्त नागरिकों के निर्माण में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश काल में इस संस्था का प्रांगण देश के स्वतन्त्रता सेनानियों का मुख्य कार्यक्षेत्र रहा है। इस संस्था ने देश को अनेक सुयोग्य शिक्षक, चिकित्सक, सैनिक, अभियन्ता, प्रशासक, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, कुशल उद्योगपति एवं देशभक्त नागरिक दिये हैं।यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त तथा कर्मठ शिक्षकों से सुशोभित है तथा अपनी उच्चकोटि की शिक्षा के लिए सुविख्यात है। प्रतिवर्ष इस संस्था के विभिन्न विद्यार्थी विश्वविद्यालय की योग्यता–सूची में स्थान प्राप्त करते रहे हैं तथा विभिन्न विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होता रहा है।

महाविद्यालय के वर्तमान स्वरुप का विकास एवम् विस्तार महाविद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र के पूर्व अवैतनिक मन्त्री एवं भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष परम् आदरणीय सेठ दयानन्द गुप्ता जी के व्यापक एवम् रचनात्मक दृष्टिकोण से सम्भव हो पाया है।

महाविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवम् प्रत्यानन परिषद् बेंगलौर द्वारा मूल्यांकित है। महाविद्यालय परिसर में शोधार्थियों के लिए एक अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सेन्ट्रल रिसर्च लैब तथा वातानुकूलित ओडिटोरियम की सुविधा है।

वर्तमान में, महाविद्यालय युवा अवैतनिक मंत्री श्री अजय अग्रवाल जी के कुशल निर्देशन मे प्रगतिपथ पर अग्रसर है। उनके प्रयासो और प्रेरणा से एक विशाल भवन का निर्माण श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता जी (देव प्रिया ग्रुप) द्वारा किया गया है।

प्रबन्ध समिति (वर्ष 2023–24)

1. श्री महेश कुमार गुप्ता — प्रधान
   474, ब्रह्मपुरी, मेरठ
2. श्री महेश चन्द जैन — उप–प्रधान
   एम–5, जवाहर क्वार्टर, मेरठ
3. श्री अजय अग्रवाल — मंत्री
   गणेश कोल्ड स्टोरेज रेलवे रोड, मेरठ
4. श्री सन्तोष कुमार शर्मा — अति0मंत्री
   107, न्यू देवपुरी, मेरठ
5. श्री राजेन्द्र अग्रवाल — सदस्य
   (सांसद, लोकसभा)
   135, चाणक्यपुरी, शास्त्रीनगर, मेरठ
6. श्री ओम प्रकाश शर्मा — सदस्य
   406, आर.पी.जी. हाईवे
   गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ
7. श्री शुभेन्द्र मित्तल — सदस्य
   28, बागपत रोड, मेरठ
8. श्री संजीवेश्वर प्रकाश — सदस्य
   105/4, पंचशील कालोनी, गढ रोड, मेरठ
9. श्री मनीष प्रताप — सदस्य
   26, प्रयाग मार्केट,बागपत रोड, मेरठ
10. श्री कृष्ण कुमार शर्मा — सदस्य
    कान्ती कुटीर, विजय नगर, मेरठ
11. श्री बिजेन्द्र अग्रवाल — सदस्य
    ए–83, डिफेन्स कॉलोनी, मेरठ
12. श्री धीरेन्द्र दत्त शर्मा — सदस्य
    56, विजय नगर, मेरठ
13. डॉ0. प्रदीप कुमार अरोरा — सदस्य
    19, भवानी नगर, हापुड़ रोड, मेरठ
14. श्री प्रमोद कुमार सिंघल — सदस्य
    डी–98, सुशान्त सिटी, मेरठ
15. डॉ0 युद्धवीर सिंह — सदस्य
    116, आर्य नगर, सरधना रोड,
    कंकर खेडा, मेरठ
16. डॉ0 ब्रजभूषण — सदस्य
    221/5, थापर नगर, मेरठ
17. श्री राजकुमार कंसल — सदस्य
    614/3, मंगलपाण्डे नगर,
    अशोक पार्क, मेरठ
18. श्री प्रमोद कुमार — सदस्य
    रतन ज्योति फा० क०, पालिका बाजार,
    घन्टाघर, मेरठ
19. श्री रवि मल्हौत्रा — सदस्य
    225, मधुबन कॉलोनी,
    बागपत रोड, मेरठ
20. डॉ0 वी. के. अग्रवाल — सदस्य
    बी–161,शास्त्रीनगर, मेरठ
21. श्री अशोक कुमार जैन — सदस्य
    43, गोपाल वाटिका
    पी.एल.शर्मा रोड, मेरठ
22. श्री जय प्रकाश अग्रवाल — सदस्य
    210–ए, वेस्ट एण्ड रोड, मेरठ कैन्ट
23. श्री आनन्द प्रकाश गोयल — सदस्य
    आनन्द प्रकाश गंज बाजार
    अनाज मण्डी, नूनिया मौहल्ला,सदर , मेरठ
24. श्री अनिल कुमार शारदा — सदस्य
    140,सर्राफा बाजार, मेरठ
25. श्री विश्वबन्धु — सदस्य
    361, ब्रह्मपुरी, मेरठ
26. प्रोफेसर (डॉ0) अजय कुमार — पदेन सदस्य
    प्राचार्य
27. प्रोफेसर एम०के० यादव — शिक्षक प्रतिनिधि
    अध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग
28. प्रोफेसर अन्जुला जैन — शिक्षक प्रतिनिधि
    अध्यक्षा, प्राणि विज्ञान विभाग
29. प्रोफेसर एस०के० शर्मा — शिक्षक प्रतिनिधि
    अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
30. प्रोफेसर सविता — शिक्षक प्रतिनिधि
    प्राणि विज्ञान विभाग
31. प्रोफेसर रूचि गोयल — शिक्षक प्रतिनिधि
    अध्यक्षा, गणित विभाग
32. डॉ० अनूपा सिंह — शिक्षक प्रतिनिधि
    अध्यक्षा, अर्थशास्त्र विभाग
33. श्रीमती सलोनी शर्मा — गैर–शिक्षक प्रतिनिधि
    पुस्तकालय

प्राचार्य
प्रोफेसर (डॉ) अजय कुमार

उप प्राचार्य
प्रोफेसर बी०एस० यादव

डीन–स्टूडेन्ट वेलफेयर
प्रोफेसर एम०के० यादव

भवन प्रभारी
प्रोफेसर बी0एस0 यादव

IQAC समन्वयक
प्रोफेसर रुचि गोयल

NAAC समन्वयक
प्रोफेसर अन्जुला जैन

प्रोक्टोरियल बोर्ड
प्रोफेसर दीपक कुमार
(चीफ प्रोक्टर)

प्रोफेसर एम०के० यादव
प्रोफेसर सविता
डा0 विश्रुत चौधरी
प्रोफेसर सतीश कुमार
डॉ0 साक्षी चौधरी

डॉ० अंशु ढाका
डॉ0 जिनेन्द्र बौद्ध
श्री शशांक बघेल
डॉ० मनोज सिंह
डॉ० अनीता कौशल

एन0सी0सी0 प्रभारी
कैप्टेन एवरेस्ट शिवाच
कैप्टेन दीपक कुमार

नई शिक्षा नीति,परीक्षा समिति
प्रोफेसर एस०के० शर्मा **समन्वयक**

छात्रवृत्ति प्रभारी
डॉ० दीपक कुमार द्वितीय

क्रीडा समन्वयक
प्रोफेसर एम०के० यादव

रेंजर्स प्रभारी
प्रोफेसर वन्दना गर्ग

रोवर्स प्रभारी
प्रोफेसर ब्रजेश कुमार अग्रवाल

समय सारिणी प्रभारी
डा० विश्रुत चौधरी

पुस्तकालय प्रभारी
श्री चन्दन कुमार सिंह

उद्यान प्रभारी
डॉ० अंशु ढाका

कॅरियर काउंसिलिंग सैल प्रभारी
प्रोफेसर दीपाली जैन

मीडिया प्रभारी
डॉ० मनोज सिंह

एन0एस0एस0 प्रभारी
श्री दीप नारायण मौर्य

सह पाठ्यचर्चा, समन्वयक
प्रोफेसर ब्रजेश अग्रवाल

ABACUS, समन्वयक
डॉ० जयन्त तेवतिया

कौशल विकास, समन्वयक
प्रोफेसर अनुराग शर्मा

कार्यालय अधीक्षक
डॉ० तनुज शर्मा

लेखाकार
डॉ० विकास अग्रवाल

शिक्षक वर्ग

प्रोफेसर (डॉ०) अजय कुमार - प्राचार्य

विज्ञान संकाय

रसायन विज्ञान

1.	डॉ० दीपाली जैन	प्रोफेसर
2.	डॉ० विश्रुत चौधरी	विभागाध्यक्ष
3.	डॉ० दीपक कुमार	प्रोफेसर
4.	डॉ० साक्षी चौधरी	एसो.प्रोफेसर
5.	श्रीमती सुजाता मलिक	असि.प्रोफेसर
6.	श्री दीप नारायण मौर्य	असि.प्रोफेसर

वनस्पति विज्ञान

1.	कैप्टेन (श्रीमती) एवरेस्ट सिवाच	एसो.प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा
2.	डॉ० शैफाली पूनिया	प्रोफेसर
3.	डॉ० अंशु ढाका	एसो.प्रोफेसर
4.	डॉ० प्रियंका	असि.प्रोफेसर

जन्तु विज्ञान

1.	डॉ० अंजुला जैन	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा
2.	डॉ० सविता	प्रोफेसर
3.	डॉ० वन्दना गर्ग	प्रोफेसर
4.	श्रीमती भारती आनन्द	असि.प्रोफेसर
5.	डॉ० प्रवीन कुमार	एसो. प्रोफेसर

भौतिक विज्ञान

1.	डॉ० बी0एस0 यादव	प्रोफेसर
2.	डॉ० एम0के0 यादव	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
3.	डॉ० रितु शरण	एसो. प्रोफेसर
4.	डॉ० जयन्त तेवतिया	एसो.प्रोफेसर
5.	डॉ० मनोज सिंह (स्ववित्त पोषित योजना)	असि.प्रोफेसर
6.	डॉ० विजय कुमार (स्ववित्त पोषित योजना)	असि.प्रोफेसर

गणित

1.	डॉ० रुचि गोयल	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा
2.	डॉ० अनुराग शर्मा	प्रोफेसर
3.	डॉ० सतीश कुमार	प्रोफेसर

सांख्यिकी

1.	श्री शशांक बघेल	असि. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

कला संकाय

अर्थशास्त्र

1.	डॉ० अनूपा सिंह	एसो. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा
2.	डॉ० कविता सक्सैना	प्रोफेसर
3.	डॉ० अर्चना जैन	असि.प्रोफेसर

अग्रेंजी

1.	डॉ० पृथ्वीराज सिंह चौहान	असि.प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2.	डॉ० पूनम शर्मा (स्ववित्त पोषित योजना)	असि.प्रोफेसर

वाणिज्य संकाय

1.	डॉ० शैलेन्द्र कुमार शर्मा	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2.	डॉ० ब्रजेश कुमार अग्रवाल	प्रोफेसर
3.	डॉ० हिमांशु अग्रवाल	प्रोफेसर
4.	डॉ० दीपक कुमार द्वितीय	असि.प्रोफेसर
5.	श्री चन्दन कुमार सिंह	असि.प्रोफेसर

शारीरिक शिक्षा विभाग

1.	डॉ० जिनेन्द्र बौद्ध	एसो.प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

शिक्षा विभाग (स्ववित्त पोषित योजना)

1.	डॉ० अनीता चौधरी	असि.प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा
2.	डॉ० सुशील कुमार	असि.प्रोफेसर
3.	डॉ० ममता त्रिपाठी	असि.प्रोफेसर
4.	श्रीमती पायल गुप्ता	असि.प्रोफेसर
5.	श्रीमती अलका देशवाल	असि.प्रोफेसर
6.	डॉ० रश्मि शर्मा	असि.प्रोफेसर
7.	श्रीमती कुमुद रानी	असि.प्रोफेसर
8.	डॉ० हेमा अग्रवाल	असि.प्रोफेसर
9.	डॉ० निधि सोलंकी	असि.प्रोफेसर
10.	डॉ० अनीता कौशल	असि.प्रोफेसर

कम्प्यूटर साइंस (स्ववित्त पोषित योजना)

1.	डॉ० दिव्या शर्मा	असि.प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा
2.	डॉ० कामना शर्मा	असि.प्रोफेसर
3.	श्री अरूण कुमार	असि.प्रोफेसर
4.	श्रीमती दिव्याजलि	असि.प्रोफेसर

शिक्षणेत्तर वर्ग

तृतीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग

प्रशासनिक कार्यालय

डॉ0 तनुज शर्मा (कार्यालय अधीक्षक)
डॉ0 विकास अग्रवाल (लेखाकार)
श्री महेश हरित
श्री मोहित कुमार
श्री अंकित कुमार अत्रिश
श्री अंकित कौशिक
श्रीमती नेहा कन्नौजिया
श्री शिवानन्द कुमार (अस्थायी)
श्री शोभित कुमार (अस्थायी)
श्री हरेन्द्र चौधरी (अस्थायी
श्री संदीप कुमार (अस्थायी)
श्री गौरव कुमार (अस्थायी)

पुस्तकालय

डॉ0 हीमा (पुस्तकालय अध्यक्षा)
श्रीमती महेन्द्री देवी
श्रीमती सलोनी शर्मा
श्री राजकुमार

रसायन विज्ञान विभाग

श्री अनुज कुमार प्रथम

जन्तु विज्ञान

श्री सौरभ यादव

वनस्पति विज्ञान

श्री प्रशांत सिंह

भौतिक विज्ञान

श्रीमती नीरा त्यागी
श्री अनुज कुमार द्वितीय

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग (स्थायी)

श्री मुनेन्द्र पाल
श्री सुनील कुमार
श्रीमती बीना देवी
मौ0 रईस
मौ0 सलीम
श्री विरेन्द्र कुमार
श्री सुखपाल
श्रीमती कान्ता
श्री विशाल कुमार
श्री हरेन्द्र सिवाच
श्री प्रदीप कुमार
श्री रवि कुमार
श्री जुगनू केशव
श्री पवन शर्मा
श्री देवी प्रसाद
श्रीमती सरिता मौर्य
श्री धनेश कुमार
श्री हीरा सिंह
श्री अमित कुमार
श्री राजीव कुमार
श्री मुकेश कुमार
श्री राजेश कुमार
श्री राम कुमार
श्री आशुतोष

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग (अस्थायी)

श्री निरंजन कुमार
श्री नवेन्द्र कुमार
श्री सोहन लाल
श्री भुवनेश कुमार
श्री विक्रम सिंह
श्री अजीत चौधरी
श्री राजू
श्रीमती ममता
श्री शिव वरदान
श्रीमती अफसाना
श्री अनमोल मित्तल
श्री जीत सिंह थापा
श्री सोनू वर्मा
श्री बिजेन्द्र कुमार
श्री मनोहर लाल

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

अनुदानित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम

1. बी.एस–सी.(गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)
2. बी.एस–सी.(रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान)
3. बी.एस.–सी.(गणित, सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र / भौतिक विज्ञान)
4. बी.कॉम.
5. एम.एस–सी. (रसायन विज्ञान)
6. एम.एस–सी. (गणित)
7. एम.एस–सी. (वनस्पति विज्ञान)
8. एम.एस–सी. (जन्तु विज्ञान)
9. एम.कॉम.
10. एम.ए. (अर्थशास्त्र)
11. पी–एच.डी. (रसायन विज्ञान)
12. पी–एच.डी. (गणित)
13. पी–एच.डी. (वनस्पति विज्ञान)
14. पी–एच.डी. (जन्तु विज्ञान)
15. पी–एच.डी. (वाणिज्य)
16. पी–एच.डी. (अर्थशास्त्र)
17. पी–एच.डी. (भौतिक विज्ञान)
18. पी–एच.डी. (अंग्रेजी)

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम

1. बी.एस–सी.(कम्प्यूटर साइंस)
2. एम.एस–सी. (भौतिक विज्ञान)
3. एम.ए. (अंग्रेजी)
4. बी.एड. (द्विवर्षीय)

आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रैगिंग दण्डनीय अपराध है। यदि कोई छात्र/छात्रा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी शिकायत की सूचना तत्काल अधोलिखित को त्वरित कार्यवाही हेतु दें।

प्रोफेसर (कैप्टेन) दीपक कुमार
चीफ प्रोक्टर

प्रोफेसर एम०के० यादव
डीन, स्टूडेन्ट वैलफेयर

प्रोफेसर (डॉ०) अजय कुमार
प्राचार्य

प्रवेश के समय वांछित आवश्यक पत्राजात

1.महाविद्यालय की वेबसाईट पर पूर्ण रूप से भरे हुए प्रवेश फार्म की छाया प्रति (सभी संलग्नकों के साथ)
2.विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कराये गये ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म की फोटो प्रति।
3.हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका व प्रमाण पत्र एवम् इनकी स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रतियाँ।
4.पिछली संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ।
5.जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र (गत 6 माह की अवधि का) की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रतियाँ।
6.आर्थिक रुप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये ई• डब्लू• एस• प्रमाणपत्र की फोटो प्रति।
7.आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति।
8.विश्वविद्यालय नियम संख्या 6 के संदर्भ में अधिभार हेतु उपयुक्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ।
9.कौशल विकास पाठ्यक्रम चयन–पत्र ।
10.स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रतियाँ।
11.अभ्यथी द्वारा रैगिंग में संलिप्त न होने का शपथ पत्र। (मूल प्रति में)
12.उपरोक्त लिखे सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति जांच के लिए साथ लानीं आवश्यक हैं।
13.प्रवेश के उपरान्त बार कोड युक्त परिचय–पत्र विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
14.प्रवेश हेतु लिंक : https:dnpgcollegemeerut.ac.in

नोट : (1) प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को आवश्यक रूप से महाविद्यालय में प्रवेश समिति के समक्ष स्वंय उपस्थिति होना होगा । उसके साथ अन्य किसी व्यक्ति का महाविद्यालय में आने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

(2) प्रवेश सम्बन्धित समस्या के लिए Grievance Cell में सम्पर्क करें।

(3) बिन्दु 1 से 9 प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है।

महाविद्यालय में प्रवेश के नियम

1. महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नात्कोत्तर प्रथम वर्ष के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी वरीयता सूची के आधार पर होता है। प्रवेश हेतु महाविद्यालय 10:30 बजे से 2:00 बजे अपराहन (शनिवार को 12:00 बजे दोपहर तक) खुला रहेगा।
2. प्रवेश फार्म तथा विवरणिका महाविद्यालय के फीस काउन्टर से प्राप्त करें।
3. प्रवेशाधिकारी से प्रवेश फार्म अग्रसारित कराने के उपरान्त प्रवेश शुल्क जमा करके शुल्क की रसीद प्रवेशाधिकारी के पास अवश्य जमा करें। उसके उपरान्त ही प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर सुनिश्चित (Confirm) किया जायेगा।
4. प्रवेश प्राप्त करने के बाद अपना परिचय पत्र महाविद्यालय के चीफ–प्रोक्टर कार्यालय से प्राप्त करें। यह परिचय पत्र महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने पास रखे तथा अनुशासन अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करें।
5. प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र के साथ–साथ अपना एक और पहचान पत्र रखना आवश्यक है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि।
6. बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) प्रवेश के समय जमा नहीं होगा यह परीक्षा फार्म के साथ ही जमा होगा।
7. बैक पेपर अथवा पूरक परीक्षा में अर्ह विद्यार्थियों को प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार दिया जायेगा ।
8. यदि कोई विद्यार्थी नियम के विरुद्ध प्रवेश पा लेता है तो उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

9. यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय की 'ए' सूची (ब्लैक लिस्ट) में रखा गया है अथवा किसी अन्य प्रकार से दण्डित किया गया है तो उसे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यदि किसी विद्यार्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल जाता है तो उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
10. जो विद्यार्थी महाविद्यालय की 'बी' सूची (ब्लैक लिस्ट) में है उन्हें महाविद्यालय की अनुशासन समिति की संस्तुति पर प्राचार्य द्वारा मान्य करने पर ही प्रवेश मिल सकेगा।
11. जिन छात्रों का निर्धारित योग्यता का परीक्षाफल अपूर्ण है, उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. सामान्यतः एम0एससी0 रसायन (द्वितीय वर्ष) में उप–विषयों का चयन प्रथम वर्ष में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयतानुसार किया जायेगा।
13. प्रवेश के उपरोक्त सभी नियमों के अतिरिक्त प्राचार्य किसी भी प्रवेशार्थी को महाविद्यालय के हित में, बिना कोई कारण बताये, प्रवेश देने से मना कर सकते हैं।

विधार्थियो के लिए **अति-आवश्यक नियम**

1. अभिभावक विशेष रूप से ध्यान दें कि माननीय उच्च न्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति विवरण प्रतिमाह महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है अतः सभी विद्यार्थियों का प्रतिदिन कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रैगिंग दण्डनीय अपराध है यदि कोई छात्र–छात्रा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा ऐसे छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि महाविद्यालय के अन्दर या बाहर अपने शिक्षकों के प्रति अनुशासित व्यवहार बनाये रखेंगे तथा उनकी प्रतिष्ठा का सदैव ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा जारी नियमों एवं परिनियमों का पालन करना अनिवार्य है।
4. सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में शालीनता बनाये रखेंगे तथा महाविद्यालय की सम्पूर्ण समग्रता स्थापित करने में पूर्ण योगदान देंगे।
5. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के नशे का किसी भी रूप में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। ऐसी अवस्था में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। ऐसा करने वाले विद्यार्थी व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से दण्ड के भागीदार होंगे एवं उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वाहन कालेज के वाहन स्थल पर रखना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के लिए प्रांगण में किसी प्रकार का वाहन चलाना या उसको अन्यत्र खड़ा करना वर्जित एवं दण्डनीय है।
8. प्रवेश लेते समय विद्यार्थी जिन विषयों का चयन करेगा उनमें किसी भी दशा में परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। विषय, सैक्शन तथा संकाय परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
9. परिचय–पत्र केवल प्रवेश के समय ही उपलब्ध होगा। प्रवेश के पश्चात् कॉलिज परिसर में प्रवेश केवल परिचय–पत्र के द्वारा ही अनुमन्य होगा।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा सामान्य जाति के छात्र प्रवेश लेने के लिए तत्काल उपरान्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र पूर्ण करके उसी दिन जमा करा दें तथा आय/जाति प्रमाण पत्र साथ लायें।
11. उपर्युक्त नियमों का पालन न करने पर विद्यार्थी विशेष का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्राजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रुप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन / कम दृष्टि, श्रवण ह्रास / पालन निशक्तता, अंग–भंग आदि) हेतु कुल 5 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षेतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत आरक्षण ई0डब्ल्यू0एस0 के लिए लागू होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों /संस्थानों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्य थियों का समयबद्ध सफल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यतानुक्रमानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्द अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय / संस्थान चाहें, तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों / संस्थानों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक प्रवेश पोर्टल https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट , अभ्यर्थियों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों / संस्थानों को संरक्षित करनी होगी।

(घ) (I) प्रवेशपरीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबईल नम्बर, स्वयं का ई–मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय / संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली–माँति अवलोकन कर ऑन लाईन सम्मिट करना आवश्यक होगा द्य पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं0 पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करे। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन क। वि क ल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

(घ)(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियां प्रकाशित की जायेगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय /संस्थान की चयन सूची में वरीयतानुसार नाम आने पर लिए जा सकते है। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते है। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने लॉगइन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविंद्यालय / संस्थान द्वारा उनके लॉगइन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय / संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात् पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम दो वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते है, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय / संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिए प्रयास कर सकते है।

(घ)(iii) प्रथम ओपन मेरिट के उपरान्त ओपन पंजीकरण अर्थात महाविद्यालय /संस्थान व पाठ्यक्रम के विकल्प के बिना पूर्ण किये गये अवेदन पत्र के आधार पर ऑफर लेटर में इंगित गोपनीय संख्या के माध्यम से रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमानुसार वांछित महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश ले सकते है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ओपन पंजीकरण आवेदन पत्र खुलने के पश्चात् पूर्व से ही पंजीकृत अप्रवेशित अभ्यर्थियों के भी चयनित महाविद्यालय /संस्थान व पाठ्यक्रम आवेदन पत्र से समाप्त हो जायेगे व उन्हें नवीन अभ्यर्थी की भाँति ही पुनः ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा तथा वांछित महाविद्यालय / संस्थान में समस्त प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय / संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सम्पुष्ट होने पर अभ्यर्थी के लॉगइन में सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

(ड) विषय संयोजन आवंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्य / उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों / संस्थानों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय / संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगें कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान न शेष रहें। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) में भरे जा सकते हैं।
अनुसूचितजाति / अनुसचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा छात्रावास में आवास प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

नोटः– यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे, तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भांति माना जायेगा। पंजीकरण गा समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड / संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रू॰ में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(च)(i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक एवं स्नाकोत्तर प्राठयक्रमों मैं निर्धारित सीटों का अधिकतम 25 प्रतिशत सीमा तंक ही होंगे, (व्यावसायिक पाठयक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी, जोकि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय / संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करें, तब भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(च)(ii) प्रवेश सत्र 2023–24 में ट्रान्सजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा, किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोईआरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(छ)(I) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ)(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय / संस्थान से दूसरे महाविद्यालय /संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों / संस्थानों के प्राचार्य / निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय / संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण केवल उत्तीर्ण छात्र/ छात्राओं का स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों / संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं होगी।

(छ)(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(छ)(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय / संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(छ)(v) ऐसे अभ्यर्थी, जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0पी0टी0, डिप्लोमा इन आर०डी0आई0टी0,60 प्रतिशत अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कूल सीटों के 0 प्रतिशत स्थानों पर बी0पी0टी0 व बी0आर0डी0आई0टी0 में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

छ(vi) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय / संस्थानों / पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों / पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों / संस्थानों / पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों / संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

(ज) जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड, अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे सी0बी0एस0ई0,आई0सी0एस0ई0 आदि), उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये मेरिट में इण्टरमीडिएट के सभी विषयों के प्राप्तांक जोडे जायेगे व स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उंन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं,जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो (जैसे सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि), किन्तु उनके सभी विषयों के योग्यता प्राप्तांक उ0प्र0 बोर्ड के सम्बंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।

(झ) स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(ज) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप मे स्नातकोत्तर में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर स्नातकोत्तर प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(त्र) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की श्होगी।

(ठ) योग्य / पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिएद्य तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अ्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य / पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 40+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

विशेष नोटः

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड / (एन0आई0ओ0ओ0एस0 व ए0आई0ओ0यू0 पर उपलब्ध) / (यू0जी0सी0 व ए0आई0यू0 की वेबसाइट से उद्धृत) विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

2. ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्ड / विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा ।

3. महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय /संस्थान के प्राचार्य यदि 4(शिक्षक) रू 60(विद्यार्थी) अथवा 4(शिक्षक) रू 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं, तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं,तो उनके विरूद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

4. "शासनादेश संख्या–2555 / सत्तर–2––2007–2(66) / 2003 उच्च शिक्षा अनुभाग– 2 दिनांक 25 जून,के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–09 7 में निर्गत शासनादेश संख्या–4678 / सत्तर–2–2006–2(66) / 2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या–870 / सत्तर–2–2000–2(66) / 2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3374 / सत्तर–2–2006–2 (66) / 2003 दिनांक 24 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या– 421 / सन्तर–1–2015–16 (20) / 2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।"

5. किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक /स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, वह विषय इण्टरमीडिएट / स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा।

किसी भी अभ्यर्थी को बी0ए० में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी0ए०0 की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Note: In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

6. ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय /संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेग।। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व–विद्यार्थी (Exstudent) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

7. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक / परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय / सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों / कर्मचारियों के (पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति) के लिएं

(स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्तानक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द)(i) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार,ऐस अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा /डिग्री के साथ–साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा /डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर, /रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा–

(i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने / निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान / गुरूपद / प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान / ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

8. 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी0ओ0 न0 एफ0.14––3 / 85 (सी0पी0), दिनांकः 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमवार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.)अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / प्रदेशीय / अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI(Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण–पत्र धारक हो।

नोट– (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8 अंकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय / महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति को मेरिट प्रतिशत मे अधिकतम 12 अंकों तक अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय / संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा,जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान न कर दिया जाये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे ।

10. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी अन्य मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठयक्रम का प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष / चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय /चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष के समतुल्य पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एलएल0बी0 के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

11.(I) एम0एससी0, एम0ए0 भूगोल, गृहविज्ञान, संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे–

(ए) महाविद्यालय / संस्थान विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम0एससी0 और एम0ए० में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी0एससी0 / बी0ए० में उपर्युक्त वर्णित नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस0सी0,/ एस0टी0 के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होंगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।

(iii) प्रस्तर (ii) पर दिये गये विषयों से अलग .एम0ए0 के ऐसे विषय, जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं एवं एम0एससी0 (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यता क्रमानुसार ही होंगे।

(iv) एम0एससी0 और एम0ए0 (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम0एससी0 सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर गणित /सांख्यिकी विषय होना अनिवार्य है, परन्तु एम0ए0 प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटें कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे। एम0एससी0 बायोइन्फोरमेटिक्स.;ठपवपदवितउंजपबेद्ध में. प्रवेश. हेतु स्नातक बायोलॉजी ग्रुप/ बायोटैक्नोलोजी / कम्प्यूटरसांइस / गणित / सांख्यिकी / माइक्रोबाइलोजी ,/ बी0एम0एल0टी 0/बी0एससी0 (कृषि) में 50 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

(v) एम0एससी0 (गणित) में प्रवेश हेतु बीएसी0ए०, बी0टैक0(मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस, इंफोरमेशन टैक्नोलोजी, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी0एससी0 (गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) एमए0 के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वहीं विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

(vii) एम0ए0(अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 / बी0सी0ए0 / बी0ए0(गणित) / बी0एससी0 (गणित) / बी0कॉम0 अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा, किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी0ए0 (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(viii) एम0ए0० गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र) तथा मनोविज्ञान के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है, तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंकों की कटौती की जायेगी।

12.(I) एलएल0बी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर विहित नियमावली के अनुसार किये जायेंगे। एलएल0बी0 (3 वर्षीय एवं 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग हेतु 42 प्रतिशत से अधिक, पिछडा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / जनजाति हेतु 40 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ स्नातक / परास्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होगा। योग्यता क्रम की गणना हेतु स्नातक (3 अथवा अधिक वर्षीय) अथवा स्नातकोत्तर स्तर (2 वर्षीय) पर, जिसमें अधिक प्रतिशत अंक हो, वही आधार बनेगा यद्यपि गैप वर्ष की गणना पात्रता कक्षा अर्थात स्नातक से की जायेगी, तथापि भारत के राजपत्र भाग–ना, खण्ड–4, दिनांकरू 07.08.2014 के अनुसार एलएल0बी0 (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्ह कक्षा स्नातक अथवा उच्चतर कक्षा (स्नातकोत्तर) में 45 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करे हों, तो वह अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगें।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय से या इस विश्वविद्यालय से मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय से एलएल0बी0 उपाधि (3 वर्षीय पाठ्यक्रम /5 वर्षीय पाठ्यक्रम) न्यूनतम 49.5 प्रतिशत अंकों (सामान्य वर्ग हेतु) तथा 48 प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जाति /जनजाति तथा पिछडा वर्ग हेतु) से उत्तीर्ण की है, मास्टर ऑफ लॉ (एलएल0एम0) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर ही अर्ह होंगे।

(iii) एक अभ्यर्थी, जिसने एलएल0०बी0 का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से, जोकि इस विश्वविद्यालय में मान्य है, उत्तीर्ण किया है, एलएल0बी0 के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है, किन्तु उसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।

(iv) कोई भी महाविद्यालय / संस्थान एलएल0बी0 प्रथम वर्ष में ठण्ब्ण्ण् द्वारा निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेंगा।

13.(i) बी0कॉम0 प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन अभ्यर्थियों को कोई अधिभार नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी0कॉम0 में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्ताकों को आधार माना जाएगा।

(ii) बी0ए0 में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठयक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा ।

(iii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0कॉम0, बी0ए0 अथवा बी0एससी0 में प्रवेश के लिए मेरिट में लिखित परीक्षा के दो तिहाई प्रतिशत तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्रतिशत जोड़े जायेंगे।

14.(I) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश – या पुनः प्रवेश महाविद्यालय / संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय /संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति / प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता हैं।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी
"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from institution."

(vii) कोई भी विद्यार्थी, जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, एम0पी0एड0, एलएल0एम0 व्यावसायिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा ।

15.(I) बी0एड0 / बी0पी0एड0 और एम0एड0 / एम0पी0एड0 की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन0सी0टी0ई0० द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी0एड0, एम0एड0 के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

(ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0ए0 (गृह विज्ञान) / बी0एससी0 (गृह विज्ञान) तथा बी0एससी0 (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(iii) केवल ऐसे अभ्यर्थी एम0एससी0 (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य होंगे, जिन्होंने बी0एससी0 (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम0एससी0 (कृषि) में प्रवेश योग्यताक्रम के आधार पर होगा।

16. ऐसा अभ्यर्थ, जो किसी अन्य महाविद्यालय /संस्थान से सम्बन्धित द्वितीय /तृतीय /चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

17. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता ।

18(i) एम0कॉम0 के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0कॉम0 परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे किन्तु प्राथमिकता बी0कॉम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

(ii) बी0सी0ए0 / बी0टैक0 (Mech./CS/IT/EC/Electrical) की परीक्षा बीएएससी0 (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी यद्यपि एम0एससी0 (गणित) में प्रवेश की प्राथमिकता बी0एससी0 (गणित) को दी जायेगी।

(iii) बी0पी0ई0एस0 (सेमेस्टर प्रणाली 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) / बी0एससी0 (शारीरिक शिक्षा)(वार्षिक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अन्य स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

(iv) एम0पी0ई0एस0 (सेमेस्टर प्रणाली 2 वर्षीय) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जायेगी।

(v) एलएल0बी0 (3 वर्षीय) एवं एलएल0बी0 5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया (बी0सी०आई0) द्वारा निर्धारित अर्हता ही मान्य होगी।

(vi) व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ)छात्र प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

19. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

20 यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

21(i) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा / शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी0ए0 प्रथम/ एम0ए0 प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु वह अभ्यर्थी बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार)।
बी0एड0 ÷/ बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांकः 28.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार)।

22. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।

23. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

24. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू0पी0० या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा ।

25. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय /संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय / संस्थान अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा। .

26. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

27. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

28. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।

29. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।

30. बी0एससी0(फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स विषय) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान विषय में 10+2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा सम्बन्धी अभिलेखों के साथ 45 प्रतिशत अंक (सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग) व 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति / जनजाति) होने पर ही दिया जायेगा।

31. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बी.लिब आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है, मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त ह अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

32. विश्वविद्यालय के समस्त पाठयक्रमों के प्रवेश में महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

33. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय पअ के प्रस्तर–4 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को एकसाथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हों।

34. BAJMC, BBA, BFA में प्रवेश हेतु 10+2 में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। एस0सी0 / एस0टी0 अभ्यर्थियों का प्रवेश 40 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।

35. B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) के लिए 10+2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।

36. प्रवेश के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा ।

37. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों / संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे ।

38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

39. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से चार वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा ।

40. M.Sc (Home Science) की विभिन्न शाखाओं के लिये अर्हता ठण्ैब ;भ्वउम ैबपमदबमद्ध 50 प्रतिशत अंकों के साथ रहेगी। Foods & Nutrition पाठ्यक्रम के लिये B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics)उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त प्रतिशत के साथ ही पात्र होंगे।

41. यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय /संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय /संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय /संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है, तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

42. समय–समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही अच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

43. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यहि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः ।एठएब्एक प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

44. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू0जी0सी0 / आई0जी0एन०ओ0०यू0 तथा एन0आई0ओ0एस0 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

Eligibility Criteria

M.A. Programme

1. 2.	English Economics	Bachelor's Degree (with the concerned subject as one of the main subjects.) Note:- Subject to deduction as per note #1(ठ) (I)FOr admission to M.A. (Economics), candidates having B.A/B.Sc. degree with Mathematics as one of the main subjects, or at 10+2 level, or those with B.B.A/B.COm./B.C.A. degree, are also eligible.

M.Sc. Programme

1. 2. 3. 4. 5.	Botany Chemistry Mathematics Physics Zoology	B.Sc. Degree (with the concerned subject as one of the main subject) with 45% marks in aggregate and 50% marks in the subject (For calculating the percentage in the subject, see # 10 (ii)). Note: Subject to deduction as per note # 1(ठ) (ii) For admission to M.Sc. (Physics), candidate having B.Sc. degree with Physics and Mathematics along with Statistics are also elegible.For admission to Master's degree in Mathematics, candidate having B.A./B.Sc. degree in Mathematics/B.Tech. (Civil/EC/CS/IT/Mech./Electrical)/BCA are also eligible. Candidate with B.A. will however get the degree of M.A .A. For Mathematics, candidate with 33% marks will also be eligible.

M.Com Program

1.	M.Com	B.Com / BBA / Non Commerce graduate with 33% marks in aggregate

Bachelor's Programme

1.	B.Sc. Computer Science	10+2 with 45% marks (PCB/PCMB/PCBE)/Commerce with Maths. Or 10th from U.P. Board along with two-year or three-year ITI/Polytechnic diploma in Electronics/Computer Science/Information Technology and 12th with a single subjct (Hindi) from U.P. Board.
2.	Bachelor of Commerce (B.Com.)	10+2 with 33% marks (eligibility-Commerce, Arts, Science)
3.	B.Sc. (Maths Group) P.C.M., P.S.M., E.S.M.	10+2 with 33% marks (eligibility-P.C.M / P.C.M.B)
4.	B.Sc. (Bio Group) B.C.Z.	10+2 with 33% marks (eligibility-Biology)
5.	B.Ed (Two Year)	Graduation in any subject (50% for Gen. /OBC and 45% for SC/ST) qualified in entrance Exam.

Note:

1. Candidates, who already have a post-graduate degree as a regular candidate, are ineligible for admission to another regular post-graduate programme, provided the same can be pursued as a private candidate.

2. For SC and ST candidates, 5% relaxation in the above minimum eligibility conditions of percentage of marks in respect of qualifying examination will be applicable unless otherwise mentioned.

3. Norms of NCTE, INC, UGC will be followed wherever applicable.

4. For admission in regular PG in those subjects, which are available for private candidates, a gap of more than four years, will not be permissible.

5. Without affecting the division category, a flat 5% deduction from the Merit Index would be made in case of admission to the PG courses (wherever applicable), if a subject has not been pursued as one of the main subjects at the UG level and requested for admission in that particular subject at the PG level. The other subjects/course eligibilities listed for admission to a PG course will also be subjected to flat 5% deduction.

6. For taking admission in M.A. in Hindi/Urdu/English/Sanskrit, the concerned subject should have been pursued at the U.G. level.

7. Unless specified, no candidate shall be allowed to take admission in any PG courses, without passing the 10+2+3 or 11+1+3 pattern.

नोट :

1. प्रवेश प्रक्रिया में यदि अधिक दिन लगते हैं अथवा किसी अन्य कारणवश 180 दिन में से कुछ शिक्षण दिवस कम होते हैं तो उतने शिक्षण दिवसों की पूर्ति अतिरिक्त कक्षायें चलाकर की जायेगी।

2. शोक सभायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में केवल कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी के निधन पर अपराहन 3:30 बजे होगी। अपराहन 3:30 बजे तक कक्षायें यथावत चलेंगी।

3. प्रवेश नियमावली में उद्वत नियमों का पालन पूर्व की भांति ही लागू किया जाये।

4. परीक्षा फार्म जमा करने व परीक्षा कार्यक्रम की अन्तिम तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश घोषित हो जाता है, तो उक्त दशा में अगला कार्य दिवस स्वीकार किया जायेगा।

5. जिन महाविद्यालयों की सम्बद्धता दिनांक 30.06.2023 को समाप्त हो रही है, उनके सम्बद्धता के विस्तारण की कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र करा दी जाए। यदि किसी कारणवश किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विस्तारण निर्धारित समय में नहीं हो पाता है, तो ऐसे महाविद्यालयों / संस्थानों के छात्र / छात्राओं की परीक्षायें कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

6. विश्वविद्यालय का परीक्षाफल तथा अन्य कार्यक्रम विश्वविद्यालय वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in उपलब्ध कराया जायेगा।

7. बैक पेपर में अर्ह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में औपबन्धिक (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। यदि बैक पेपर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाते हैं तो उनके परीक्षा फार्म तद्नुसार निचली कक्षा में स्वतः परिवर्तित कर दिए जायेंगा।

8. स्नातकोत्तर कक्षाओं में आन्तरिक मूल्यांकन एवं परीक्षा सम्बन्धी वह समस्त नियम–परिनियम लागू होंगे जो विश्वविद्यालयों द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में प्रवेश–सम्बन्धी दिशा निर्देश

National Education Policy 2020: Guidelines for Admission

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065 / सत्तर–3––2021–16(26) / 2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2011 एवं प्त्र संख्या 567 / सत्तर––3––202–6(26) / 2011 टी0सी0. लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर चौधरी चरण सिंहविश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश–सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम / मानक दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. पाठ्यक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय–सारिणी :

2. यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0कॉम0 पर सत्र 2021–22 से प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी।

3. **प्रवेश की व्यवस्थाः**

विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुनः पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (Bio/Maths/Stats etc.) का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन मेरिट, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।

पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है, जिसका आवंटन मेरिट, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिये संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 (http://uphed.gov.in/Council/GOneeti.aspx) के अनुसार होगा।

विद्यार्थी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों / शिक्षकों / संस्थानों / नियमों के आलोक में द्वितीय / तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

छात्र को विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्याथी को एक गौण (माइनर इलैक्टिव) पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्नपत्रों (माइनर द इलैक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।

बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।

कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3x4=12) क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक / कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill Development Courses) पूर्ण करना होगा।

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।

इन सभी सह–पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. (C.G.P.A) की गणना में सम्मलित नही किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा Multipule Choice Questions आधारित होगी।

4. कक्षाओं हेतु समय–सारिणीः

सभी महाविद्यालय / शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारंभ होने से पूर्व अपनी समय–सारिणी (Time Table) तैयार कर लें। जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

सभी शिक्षण संस्थान समय सारिणी (Time Table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।

तीसरे मुख्य विषय तथा चयनित गौण पेपर (Minor Elective Paper) की कक्षाओं के लिये कोई एक ही वादन (Period) समय–सारिणी में निर्धारित किया जाये जिससे कि सभी विद्यार्थी सुविधापूर्वक अपने–अपने चयनित विषयों का अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार, इन विषयों की परीक्षाओं तथा आन्तरिक मूल्यांकन के लिये एक ही तिथि निर्धारित की जाये।

5. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया

विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।

विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार–परक (Vocational) प्रशिक्षण–पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

विद्यार्थी को तीन वर्ष (छ सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।

विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा ।

6. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारणः

सैद्धांतिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13–15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

प्रेक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26–30 घंटे का प्रेक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट; न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा

न्यूनतम 432 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिये माने जाएंगे अर्थात उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्विद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

तीन वर्षो में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।

यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–142 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट / डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Recredit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुनः सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

7. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण :

क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी ।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति––2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ।

विद्यार्थी यू0जी0सी0 / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोर्टल / संस्थानों से 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स / पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित करने की यह सुविधा माइनर / इलेक्टिव पेपर्स के लिये छूट पर ही लागू होगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय परिसर को जोड़ने होगें।

विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्याथियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

9. परीक्षा व्यवस्था :

सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होगें, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत् आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।

25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यकमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।

असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।

सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी ।

10. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है–

स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।

स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल–विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय ÷ महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जायेंगे ।

11. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-Curricular) के अध्ययन–अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा–

प्रथम सेमेस्टरः खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

द्वितीय सेमेस्टरः प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)

तृतीय सेमेस्टरः मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

चतुर्थ सेमेस्टरः शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)

पंचम सेमेस्टरः विश्लेषणात्म के योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)

षष्ठ सेमेस्टरः संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)

स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-Curriocular) के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

पाठयेत्तर गतिविधियाँ

खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा :

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को क्रिकेट, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, टेबिल टेनिस, कबड्डी तथा बॉलीबॉल आदि के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमारे छात्र विश्वविद्यालय, अन्तर–विश्वविद्यालय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करते रहे हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०)

स्नातक कक्षाओं के छात्र एवं छात्राओं के लिए यह प्रशिक्षण पृथक–पृथक उपलब्ध है। इस महाविद्यालय में इस प्रशिक्षण का विशेष स्तर है जिस कारण यहाँ के कैडेट विभिन्न एन०सी ०सी० कार्यक्रमों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते रहे हैं। विगत वर्षो में इस महाविद्यालय के छात्र दिल्ली गणतन्त्र दिवस पर आयोजित परेड में चयनित किये जाते रहे हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम संचालित है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अपने समाज के प्रति सेवाभाव जागृत करना है।

कॅरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेन्ट सैल

इसके माध्यम् से छात्र/छात्राओं को मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साथ–साथ उन्हें विभिन्न कम्पनियों के माध्यम् से रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

छात्र कल्याण परिषद्

महाविद्यालय में विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार–विमर्श करके उनका समाधान करने हेतु एक छात्र–कल्याण परिषद् का गठन किया जाता है जिसमें छात्र–छात्राओं का व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। विद्यार्थी अपनी समस्याओं के विषय में छात्र–कल्याण अधिष्ठाता (Dean Student`s Welfare) से वार्ता कर सकते हैं।

4. सभी प्रकार के प्रार्थना–पत्र, रेलवे कन्शेसन, शुल्क मुक्ति प्रमाण–पत्र आदि के लिए छात्र–कल्याण अधिष्ठाता (DSW) से सम्पर्क करें।

2. रेलवे कन्सेशन नियमानुसार उसी स्थान का बनाया जा सकता है जिस स्थान पर विद्यार्थी के अभिभावक स्थायी रूप से रहते हों।यह स्थायी पता विद्यार्थी के प्रवेश–पत्र में अंकित होना आवश्यक है। यह कन्सेशन किसी अन्य स्थान के लिये नहीं दिया जा सकता और न ही इसका उपयोग कोई अन्य छात्र कर सकता है। ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध है। "रेलवे कन्सेशन प्रमाण–पत्र केवल महाविद्यालय की लम्बी छुट्टियों में ही दिया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र छात्र–कल्याण अधिष्ठाता को प्रेषित किया जाना चाहिए।

3. निर्धन एवं सुयोग्य विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष शुल्क–मुक्ति, अर्धशुल्क मुक्ति तथा छात्रवृत्तियाँ, बर्सरी, पुस्तक अनुदान आदि सुविधायें पर्याप्त मात्रा में दी जाती हैं। जो विद्यार्थी गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं अथवा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये गये हैं उन्हें किसी प्रकार की शुल्क मुक्ति नहीं दी जायेगी । अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर किसी विद्यार्थी को दी गयी इस प्रकार की सहायता समाप्त कर दी जायेगी।

4. शुल्क मुक्ति के अतिरिक्त बहुत सी छात्रवृत्तियाँ, बर्सरी, पुस्तक सहायता और राष्ट्रीय ऋण आदि छात्रवृत्तियाँ योग्य विद्यार्थियों को दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में विद्यार्थी अपने प्रार्थना–पत्र छात्र कल्याण अधिष्ठाता को प्रेषित करें। विभिन्न कार्यक्रमों की तिथियाँ सूचनापट के माध्यम से दी जाती हैं।

अनुशासन परिषद् :

महाविद्यालय में विद्यार्थियों में स्व–शासन की क्षमता एवं उत्तरदायित्व का विकास करने के लिए महाविद्यालय के कुछ शिक्षकों के संरक्षण में एक अनुशासन परिषद् का गठन किया जाता है। इस परिषद् में योग्य विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष छात्र–नायक एवं उपनायकों के रूप में चयन किया जाता है।

महाविद्यालय पत्रिका

प्रतिवर्ष महाविद्यालय एक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें न केवल महाविद्यालय का प्रति बिम्ब परिलक्षित होता है अपितु विद्यार्थियों को अपने बौद्धिक विकास, पत्रकारिता व लेखनकला को विकसित करने केलिए अवसर एवं प्रेरणा भी मिलती हैं। इसमें विश्वविद्यालय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का भी उल्लेख किया जाता है। लेखन की भावना रखने वाले छात्र छात्रायें इसमें अपना योगदान दे सकते हैं।

पुस्तकालय,

महाविद्यालय पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पुस्तकालय के लिए प्रतिवर्ष नवीनतम पुस्तक खरीदी जाती हैं। समाचार–पत्र और विभिन्न प्रकार की पत्रिकायें पुस्तकालय में उपलब्ध करायी जाती हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत रहने की पूर्ण सुविधा दी जाती है।

इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में पाठ्य पुस्तक बैंक भी है जिससे निर्धन विद्यार्थियों को पूरे सत्र के लिए पुस्तकें भी दी जाती हैं।

परिचय प्त्र

प्रवेश के उपरान्त बार कोड युक्त परिचय–पत्र विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक विद्यार्थी के पास परिचय–पत्र हर समय रहना आवश्यक है। जाँच होने पर जिस विद्यार्थी के पास परिचय– पत्र नहीं होगा उसे दण्डित किया जायेगा। पुस्तकालय में पुस्तकें, प्रयोगशाला में उपकरण आदि प्राप्त करने के लिए भी परिचय–पत्र का होना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि सत्यापन

प्रतिलिपि सत्यापन सम्बन्धी कार्य हेतु प्राचार्य द्वारा नामित अध्यापक प्रोफेसर एम.के. यादव से सम्पर्क करें। प्रतिलिपि सत्यापन या अन्य कार्य कराने के लिए महाविद्यालय के सम्बन्धित लिपिक को 10.00 बजे से 1.00 बजे मध्याह्न तक प्रार्थनापत्र दे दें और तीसरे दिन उसी समय उपयुक्त प्रपत्र प्राप्त कर लें। अपना मूल प्रमाण–पत्र तथा परिचय–पत्र साथ में लाना अनिवार्य है।

शुल्क एवं दण्ड

1. छात्र /छात्राए शुल्क आन लाइन इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। भुगतान के लिए नीचे दिये गए QR CODE को SCAN करें।
2. महाविद्यालय में केवल विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य शुल्क ही लिया जाता है।

   (अ) सुरक्षा निधि विद्यार्थियों के महाविद्यालय छोड़ने के उपरान्त नवम्बर से मार्च तक तत्सम्बन्धी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर वापिस मिल जाती है। महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष तक ही यह निधि वापिस देय होगी।

   (ब) शोध का शुल्क विज्ञान विषय में ₹300 तथा व कला एवं वाणिज्य में ₹ 200 मासिक लिया जाता है।
3. विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क उन छात्रों/छात्राओं द्वारा प्रवेश के समय कुल देय शुल्क में सम्मिलित है जो स्नातक कक्षाओं (बी.एससी. अथवा बी.कॉम.) के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रहे हैं।
4. जो छात्र दूसरे विश्वविद्यालय से आकर स्नातकोत्तर अथवा स्नातक कक्षा में प्रवेश लेंगे उन्हें विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क देना होगा तथा विश्वविद्यालय बदलने का प्रवजन–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
5. पुस्तकालय से विभिन्न कक्षाओं के लिए ली गई पुस्तकें नियत अवधि के पश्चात् जमा करने पर विलम्ब शुल्क एक रुपया प्रति पुस्तक प्रतिदिन देय होगा।
6. एन.सी.सी. परेड में लगातार तीन अनुपस्थिति होने पर एन.सी.सी. से निष्कासित कर दिया जायेगा।
7. परिचय–पत्र खो जाने पर नया परिचय–पत्र बनाने के लिए ₹10/– शुल्क देय होगा । इसकी एक विशेष प्रक्रिया है। जिसका अनुपालन आवश्यक है।
8. स्थानान्तरण अथवा चरित्र प्रमाण–पत्र का आवेदन करने के लिए शुल्क ₹10/– है तथा अन्य प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए भी शुल्क ₹10/– है।

विशेष : उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश के समय लिया जायेगा।

महाविद्यालय की फीस जमा करने हेतु
संलग्न QR कोड को स्कैन करें।

9. स्नातक व स्नात्कोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training / Survey Research Project	(Minimum Credit) For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/Degree
		Major	Major	Major	Miner Elective	Major	Major	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own Other Faculty	Other Subject Faculty	Vocational / Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty Related to Main Sub.		
1	I	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)				1		40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)					1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)			1(4/5/6)			1 (Qualifying)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	2 (6)	I Research (4) Methodology				1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Thesis		Ph.D. in Subject

B.Sc / B.Com. में सत्र **2023-24** में नवप्रवेशित छात्र / छात्राएं Skill Development विषय के निम्न ग्रुप में से किसी एक का अपनी रुचि अनुसार सावधानीपूर्वक चयन करेंगे।
यह प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक अनिवार्य रहेगा तथा ग्रुप अपरिवर्तनीय रहेंगे।

Semester	Group A Course	Most Suitable For B.Sc., Bio. Students Code no.
I	Mushroom Cultivation	V0001002
ii	Food Testing and Quality control	V0001013
iii	Food Preservation	V0001012
iv	Certificate course in computer	V0001001

Semester	Group B Course	Most Suitable For B.Sc., Math Students Code no.
I	Certificate course in Computer	V0001001
ii	Fundamental of Computer and IT	V0001006
iii	Fundamental course in Digital Marketing	V0001099
iv	Advanced Excel	V0001104

Semester	Group C Course	Most Suitable For B.Com Students Code no.
I	Principle and Practice of Banking	V0001003
ii	Computerized accounting and GST	V0001101
iii	Skill Development Course in Retail Management	V0001032
iv	Introduction to Share Market Part-1	V0001070

Semester	Group D Course	Most Suitable For All Streams Code no.
I	Communication skills and Personality Development	V0001027
ii	Yoga and Correctives	V0001015
iii	Skill Development in stress management	V0001085
iv	Skill Development in Guidance and Counselling	V0001086

देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ

संशोधित शुल्क तालिका 2023–24

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं शासन के आदेशानुसार निम्नलिखित शुल्क देय होगा।

(क) शासन द्वारा विनिर्हित शुल्क

शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों के लिए)

(i) स्नातक		11.00 रुपये प्रतिमाह
(ii) स्नातकोत्तर		15.00 रुपये प्रतिमाह
महंगाई शुल्क		3.50 रुपये प्रतिमाह
प्रवेश शुल्क		3.00 रुपये प्रतिमाह
पंजीकरण शुल्क :	स्नातक	5.00 रुपये प्रतिमाह
	स्नातकोत्तर	10.00 रुपये प्रतिमाह
विकास शुल्क		3.00 रुपये प्रतिमाह

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्हित शुल्क

क्रीडा शुल्क		65.00 रुपये प्रतिवर्ष
ग्रीष्म एवं शीत काल शुल्क		400.00 रुपये प्रतिवर्ष
पुस्तकालय शुल्क		3.00 रुपये प्रतिमाह
वाचनालय शुल्क :	स्नातक	1.00 रुपये प्रतिमाह
	स्नातकोत्तर	1.50 रुपये प्रतिमाह
परिचय पत्र		10.00 रुपये प्रति
चिकित्सा शुल्क		2.00 रुपये प्रतिमाह
निर्धन छात्र सहायता कोष		5.00 रुपये प्रतिवर्ष
छात्र कल्याण शुल्क		5.00 रुपये प्रतिवर्ष
कॉलिज पत्रिका शुल्क		100.00 रुपये प्रतिवर्ष
साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क		15.00 रुपये प्रतिवर्ष
प्रवेश पंजीकरण शुल्क		100.00 रुपये प्रतिवर्ष
इन्टरनेट लेवी चार्ज		100.00 रुपये प्रतिवर्ष
अंक–तालिका शुल्क		35.00 रुपये प्रतिवर्ष
प्रवेश–पत्र शुल्क		25.00 रुपये प्रतिवर्ष
नामांकन शुल्क (नये प्रवेशार्थियों के लिए)		140.00 रुपये प्रतिवर्ष
क्रीडा प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क (प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष)		60.00 रुपये प्रतिवर्ष
कैरियर काउन्सलिंग		10.00 रुपये प्रतिवर्ष
रोवर्स एवं रेन्जर्स शुल्क		50.00 रुपये प्रतिवर्ष
ई. फेसिलिटी		150.00 रुपये प्रतिवर्ष
कौशल विकास		250.00 रुपये प्रति सेमेस्टर

नोट : प्रवेश शुल्क आन लाइन इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा।

D.N. College, Meerut

Fee Chart 2023-2024

Class	General Category					
	Ist Year		IInd Year		IIrd Year	
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
B.Com.	2195	2063	2030	1898	1750	1618
B.Sc. (Biology)	2945	2813	2750	2618	2470	2338
B.Sc. P.C.M./M.P.S.	2705	2573	2510	2378	2230	2098
B.Sc. M.E.S.	2435	2303	2240	2108	1960	1828
M.Com., M.A., M.Sc. (Maths)	1754	1574	1869	1689	-	-
M.Sc. (Chem. Zool, Bot.)	2044	1864	2049	1869	-	-
Self Finance :						
B.Ed.	51250	-	30000	-	-	-
B.Sc. (Computer Science)	25000	-	25000	-	25000	-
M.A. (English)	5000	-	5160	-	-	-
M.Sc. (Physics	10000	-	10160	-	-	-

नोट –

1. **उक्त समस्त कक्षाओं के वार्षिक शुल्क में परीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है।**
2. अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले प्रवेशार्थियों का नामांकन शुल्क 100/– रूपये अतिरिक्त देना होगा।
3. टीचर्स एवं छात्राओं को प्रवेश के समय केवल शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की ही छूट प्रदान की जायेगी।
4. शासन या विश्वविद्यालय से आगमी सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तावित नयी दर से शुल्क देय होगा।
5. यदि सरकार द्वारा शुल्क संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो छात्र उससे पूर्णरूपेण बाध्य होंगे।

अवकाश सूची वर्ष 2023–2024

	त्यौहारों एवं दिवस के नाम	अवधि	दिनांक	दिन
1.	विश्वविद्यालय स्थापना दिवस	01	1 जुलाई, 2023	शनिवार
2.	श्रावण शिवरात्रि पर्व (मेला पूरा महादेव)	01	15 जुलाई, 2023	शनिवार
3.	मोहर्रम	01	29 जुलाई, 2023	शनिवार
4.	स्वतन्त्रता दिवस	01	15 अगस्त, 2023	मंगलवार
5.	रक्षा बन्धन	01	31 अगस्त, 2023	गुरुवार
6.	जन्माष्टमी	01	7 सितम्बर, 2023	गुरुवार
7.	ईद–ए–मिलाद (बारावफात)	01	28 सितम्बर, 2023	गुरुवार
8.	महात्मा गाँधी जयंती	01	2 अक्टूबर, 2023	सोमवार
9.	दशहरा (महानवमी)	01	23 अक्टूबर, 2023	सोमवार
10.	दशहरा (विजय दशमी)	01	24 अक्टूबर, 2023	मंगलवार
11.	नरक चतुर्दशी	01	11 नवम्बर, 2023	शनिवार
12.	दीपावली	01	12 नवम्बर, 2023	रविवार
13.	गोवर्धन पूजा	01	13 नवम्बर, 2023	सोमवार
14.	भैया दूज / चित्रगुप्त जयंती	01	15 नवम्बर, 2023	बुधवार
15.	गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस	01	24 नवम्बर, 2023	शुक्रवार
16.	गुरू नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा	01	27 नवम्बर, 2023	सोमवार
17.	चौधरी चरण सिंह जयंती	01	23 दिसम्बर, 2023	शनिवार
18.	क्रिसमस–डे	01	25 दिसम्बर, 2023	सोमवार

निर्बन्धित अवकाश

1.	मोहर्रम	01	30 जुलाई, 2023	रविवार
2.	चेहल्लुम	01	6 सितम्बर, 2023	बुधवार
3.	विश्वकर्मा पूजा	01	17 सितम्बर, 2023	रविवार
4.	अनन्त चतुर्दशी	01	28 सितम्बर, 2023	गुरुवार
5.	महाराजा अग्रसैन जयंती	01	15 अक्टूबर, 2023	रविवार
6.	दशहरा (महाअष्टमी)	01	22 अक्टूबर, 2023	रविवार
7.	महर्षि वाल्मीकि जयंती	01	28 अक्टूबर, 2023	शनिवार
8.	सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती	01	31 अक्टूबर, 2023	मंगलवार
9.	नरक चतुर्दशी	01	11 नवम्बर, 2023	शनिवार
10.	वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस	01	16 नवम्बर, 2023	गुरूवार
11.	छठ पूजा पर्व	01	19 नवम्बर, 2023	रविवार
12.	क्रिसमस ईव	01	24 दिसम्बर, 2023	रविवार

यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

IGNOU

अध्ययन केन्द्र : 2799

संचालित कार्यक्रम : देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ

COURSE	DURATION	FEE (RS.)	ADMISSION CRITERIA
MBA	2 Years	14000 Per Semester	Direct Admission
DIM	1 Year	28000	Direct Admission
PGDIM	1 Year	14000	Direct Admission
PGDHRM	1 Year	14000	Direct Admission
DGDOM	1 Year	14000	Direct Admission
DGDMM	1 Year	14000	Direct Admission
PGDFM	1 Year	14000	Direct Admission
PGDIBO	1 Year	7500	Direct Admission
M.Com	2 Years	6600 per year	Direct Admission
B.Com	3 Years	2400 per year	Direct Admission
B.Sc.	3 Years	4200 per year	Direct Admission
BBA (Retailing)	3 Years	27000 (9000 per year)	Direct Admission
M.E.G.	2 Years	5400 per year	Direct Admission

समन्वयक : डॉ. विश्रुत चौधरी

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

अध्ययन केन्द्र का नाम देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ

अध्ययन केन्द्र संख्या : S-594

क्र.सं.	विवरण	अवधि	फीस ₹ (प्रति वर्ष)
1.	पत्राचार में मास्टर डिग्री (एम०जे०एम०सी)	2 वर्ष	6000
2.	वाणिज्य में मास्टर डिग्री (एम०कॉम०)	2 वर्ष	7000
3.	विज्ञान में स्नातक डिग्री (बी०एस–सी०) (गणित व बायो ग्रुप)	3 वर्ष	6000
4.	वाणिज्य में स्नातक डिग्री (बी०कॉम०)	3 वर्ष	2000
5.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी०लिब०)	1 वर्ष	7500 फुल फीस

ALUMNI MEET
2023
पुरातन छात्र समागम
मिशन
शक्ति

दृष्टि

विद्यार्थियों को न केवल विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट नेतृत्व कर्ता बनाकर उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना, बल्कि मानवीय मूल्यों के प्रति सर्वोत्तम समझ और सम्मान, अपनी विरासत एवम् संस्कृति पर गर्व, सही और गलत में भेद करने की क्षमता विकसित करते हुए उत्कृष्ट व्यक्ति का निर्माण करना।

ध्येय

हम उच्च शिक्षा में विशेषज्ञ ज्ञान के विकास, वैश्विक नेतृत्व कर्ताओं को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट कौशल और समाज के उत्थान में व्यवहार्य समर्थन प्रदान करने के लिए शिक्षण, नवाचार, अनुसंधान और मूल्यांकन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संकलन समिति

1.	प्रो० रूचि गोयल, गणित विभाग	संयोजिका
2.	प्रो० अन्जुला जैन, प्राणि विज्ञान विभाग	सदस्या
3.	प्रो० एम०के० यादव, भौतिक विज्ञान विभाग	सदस्य
4.	प्रो० शैफाली पूनिया, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्या
5.	प्रो० अनुराग शर्मा, गणित विभाग	सदस्य
6.	प्रो० हिमाशु अग्रवाल, वाणिज्य विभाग	सदस्य
7.	डॉ० पृथ्वीराज सिह चौहान, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
8.	डॉ० तनुज कुमार, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य

Printed By : NIDHI Enterprises # 9837123492

Website : www.dnpgcollegemeerut.ac.in

E-mail : dncollege052@gmail.com

मूल्य
₹ 200/-